२०२४/३२

फर्द अहकाम

नियम – 26

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर

गजन सिंह बनाम धनवन्त सिंह वगैरा

किस्म मुकदमा :– 212 आरटीए प्रकरण संख्या 10 सन 2024

तारीख हुक्म	कार्यवाही मय इनशियलस जज	नम्बर एवं तारीख जो हुक्म की तामील में जारी हुए
19.02.2024	आज यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी गजन सिंह की ओर से अधिवक्ता श्री दयाराम सारस्वत द्वारा पेश किया गया। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ तहसील श्रीकरणपुर के चक 2 वी प्रथम की जमाबन्दी सम्वत 2074–2077 जमाबन्दी 2075 (वर्ष 2019) से स्थायी के खाता सं0 25/24 व खाता सं0 26/25 व खाता सं0 32/19 व खाता सं0 20/16 एवं अन्य दस्तावेज की प्रति प्रस्तुत की है। प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु निवेदन किया। प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र का अवलोकन किया। बहस सुनी गई। प्रार्थी को जरिए अधिवक्ता सुना गया। प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात व शपथ पत्र की सत्यता पर विश्वास करते हुए अगली तारीख पेशी तक अप्रार्थीगण को इस आश्य की अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पांबद किया जाता है कि अप्रार्थीगण आगामी तारीख पेशी 18.03.2024 तक विवादित (मुतनाजा) तहसील श्रीकरणपुर के चक 2 वी प्रथम की जमाबन्दी सम्वत 2074–2077 जमाबन्दी 2075 (वर्ष 2019) से स्थायी के खाता सं0 25/24 के मुरबा नं0 23 की कुल 6.197 है0 नहरी व खाता सं0 26/25 के मुरबा नं0 21, 22, 60/18 की कुल 12.899 है0 भूमि व खाता सं0 32/19 के मुरबा नं0 34 की कुल 3.212 है0 भूमि व खाता सं0 20/16 के मुरबा नं0 11, 34 की कुल 6.010 है0 में से अप्रार्थीगण के नाम दर्ज कुल 5.104 है0 भूमि की मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। प्रार्थी आदेश 39 नियम 3 सीपीसी की पालना करें। आदेश 39 नियम 3 सीपीसी की पालना नहीं करने पर यह अन्तरिम अस्थाई स्थगन आदेश स्वतः निरस्त समझा जायेगा। यदि उक्त भूमि बैंक के रहन है तो बैंक में राशि जमा कराने या अनापति प्रमाण पत्र प्राप्त करने व राजस्थान कृषि साख परिचलन (कठिनाई निवारण) अधिनियम 1974 की कार्यवाही पर उक्त स्थगन आदेश प्रभावी नहीं होगा। पत्रावली वास्ते आदेश 39 नियम 3 सीपीसी की पालना हेतु दिनांक 18.03.2024 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (मुहर: उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर)	
28/08/2024	आज यह पत्रावली प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने पर पेशी में ली गई। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना-पत्र मे निवेदन किया कि प्रार्थी का अप्रार्थीगण से राजीनामा हो गया है। इसलिए पत्रावली आज पेशी मे ली जाकर खारिज फरमाई जावे।	Not Press

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2025.09.03 11:47:34 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी व प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रार्थी द्वारा प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA नोटप्रेस करने पर प्रकरण इसी स्तर पर खारिज किया जाकर प्रकरण मे जारी अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 19.02.2024 इसी स्तर पर निरस्त की जाती है। पत्रावली निर्णीत होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) ★ श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर) ★ सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyoram
Date: 2025.09.03 11:47:34 IST
Reason: SelfAttested